मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक: 23/04/2020

क्रमांक 464/593/2020/38-2 : कोरोना (कोविड-19) वायरस के प्रकोप के कारण उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 460/593/2020/38-2 भोपाल, दिनांक 15/04/2020 द्वारा दिनांक 3 मई 2020 तक शैक्षणिक संस्थाओं में लॉकडाउन घोषित किया गया है । लॉकडाउन समाप्ति के पश्चात विश्वविद्यालयीन परीक्षाएं तथा विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ किया जाना सम्भावित है ।

2/ वर्तमान में दिनांक 18 मई से 26 जून, 2020 तक ग्रीष्मावकाश घोषित है । अत: परीक्षाओं के संचालन एवं प्रवेश के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन ने आगामी आदेश तक एतद द्वारा निर्णय लिया है कि शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक को ग्रीष्मावकाश अवधि (Vacation) में अनिवार्य रुप से कार्य पर उपस्थित होना होगा । इस हेतु उन्हें नियमानुसार अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। ग्रंथपाल/क्रीडाधिकारी तथा गैर-शैक्षणिक स्टाफ के संबंध में परीक्षा कार्यों तथा प्रवेश प्रक्रिया में आवश्यकता को देखते हुये प्राचार्य द्वारा स्वयं के स्तर से उचित निर्णय लिया जा सकेगा।

3/ समस्त विश्वविद्यालय तथा अशासकीय महाविद्यालयों के संस्था-प्रमुख उपरोक्तानुसार स्वयं के स्तर से संस्था के प्रावधान एवं नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप संस्था की आवश्यकतानुसार निर्णय ले सकेंगे । किसी भी स्थिति में परीक्षा या प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में निर्बाध संचालित होनी चाहिए । इस संबंध में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था-प्रमुख का ही होगा।

4/ यह आदेश माननीय राज्यपाल के अपर सचिव के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.3/2020 दिनांक 19/04/2020 के साथ संलग्न बैठक दिनांक 15/04/2020 के कार्यवाही विवरण के संदर्भ में जारी किया जा रहा है।

(अजीत कुमार)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक : 23/04/2020

पृ क्र. 465/593/2020/38-2

प्रतिलिपि:

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजभवन सचिवालय, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
3. उपसचिव, मुख्यसचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
4. निज सहायक, कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल
6. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल
7. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
8. समस्त प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय/ अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश
9. वि.क.अ., आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल

--------की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग